मंथन क्रमांक 22

महिला सषक्तिकरण कितनी समस्या कितना समाधान।

विचार मंथन के बाद कुछ व्यवस्थाऍं बनती हैं। यदि देषकाल परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थाओं में संषोधन की प्रक्रिया बंद हो जाये तो व्यवस्थाऍं रुढि बन जाती हैं । ऐसी रुढि ग्रस्त व्यवस्थाऍं समाज में विकृति पैदा करती है। महापुरुष ऐसी विकृतियों के समाधान के लिए व्यवस्थाओं में संषोधन का प्रयास करते है तो लोकतांत्रिक देषों के राजनेता ऐसी विकृतियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्थापित करने की कोषिष करते हैं। समाज में कोई भी दो व्यक्ति एक समान सोच और क्षमता के नहीं होते। स्वाभाविक है कि किन्ही दो व्यक्तियों की नीयत भी एक समान नहीं होती। समाज के ठीक ठीक संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता की सुरक्षा आवष्यक होती है। दूसरी ओर समाज के सुचारु संचालन के लिए सहजीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। महापुरुष स्वतंत्रता और सहजीवन के बीच तालमेल की व्यवस्था करते है। तो चालाक लोग ऐसे तालमेल को तोडकर निरंतर वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष की दिषा में ले जाने का प्रयास करते हैं।

एक प्राकृतिक अनिवार्यता है कि महिला और पुरुष की अपनी अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण रखते हुए भी दोनो के बीच एकत्रीकरण दोनो की अनिवार्य आवष्यकता है। साथ ही यह भी आवष्यक है कि दोनो का एकत्रीकरण भिन्न परिवारों से होना चाहिए। इस तरह परिवार व्यवस्था हमारी अनिवार्यता है और परिवार किसी व्यवस्था के हिसाब से ही चलना चहिये। चालाक लोग महिला और पुरुष को दो वर्गो में विभाजित करके निरंतर टकराव का तानाबाना बुनते रहते है । ये कभी दोनों के बीच सामंजस्य का प्रयास नहीं करते बल्कि इनका हर प्रयास इन दोनो के बीच टकराव बढाने वाला होता हैं। पुराने जमाने में महिला और पुरुष के बीच अधिकारों की कोई छीनाझपटी नहीं थी। दोनों के अधिकारों का योग समान था। परिवार के सदस्य मिलकर कार्य विभाजन कर लेते थे जिसमें बाहर का काम पुरुष तथा घर का काम महिला के जिम्मे आमतौर पर होता था। धीरे धीरे पारिवारिक सहमति हटकर यह व्यवस्था रुढ हो गई और इस विकृति का चालाक लोगों ने लाभ उठाकर महिला सषक्तिकरण का एक घातक अभियान छेड दिया।

ये चालाक राजनेता दो भागों में बट गये। एक पुरानी परिवार व्यवस्था को उसी तरह बनाये रखने का पक्षधर हो गया तो दूसरा उस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने का पक्षधर। इन लोगों ने सात आधारो पर समाज को तो पूरी तरह तोडकर छिन्न भिन्न कर दिया था किन्तु परिवार व्यवस्था अब तक नहीं तोडी जा सकी थी। महिला सषक्तिकरण का नारा अब सफलतापूर्वक उस कार्य को कर रहा है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि महिला किससे सषक्त होना चाहती है पति से , पिता से , भाई से या अन्य किससे? वह परिवार से सषक्त होना चाहती है या समाज से। महिलाओं को यह स्पष्ट करना चाहिये कि उन्हें समान अधिकार चाहिये या विषेष अधिकार। आज तक किसी महिला सषक्तिकरण का नारा लगाने वाली महिला ने इन प्रष्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि सषक्त होना है तो महिला या पुरुष को होना चाहिए या परिवार व्यवस्था को समाज व्यवस्था को। मैं मानता हूँ कि पुरुष प्रधान व्यवस्था को परिवार की सहमति से हटकर रुढ हो जाने से कुछ विकृतियॉं आयी है किन्तु महिला सषक्तिकरण उसका किसी भी रुप में कोई समाधान न होकर बल्कि एक बडी परिवार तोडक, समाज तोडक समस्या के रुप में विस्तार पा रही है। महिला और पुरुष परिवार में आपस में बैठकर अपने निर्णय करें। इसमें किसी अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये किन्तु कुछ आधुनिक महिलाये किसी परिवार रुपी खूंटे से बंधकर नहीं रहना चाहती। उन्हें पूरी आजादी चाहिए भले ही उसके दुष्परिणाम कुछ भी क्यों न हो। ऐसी महिलाओं को यदि अपनी स्वतंत्रता में सुख मिलता है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। वे अपनी नाक कटाने में भगवान का दर्षन करने को स्वतंत्र हैं किन्तु उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वे अन्य परिवारों की महिलाओं में यह विकृत भावना विकसित करें। मैं तो देख रहा हूँ कि आज देष के राजनेता पूरी ताकत से महिला सषक्तिकरण जैसे घातक नारे के विस्तार में लगे हुये है। इन्हे एक ओर तो महिलाओं को सषक्त देखने का प्रयास भी करना पडता है तो दूसरी ओर महिलाओं की घटती हुई संख्या के कारण पुरुषों के समझ होने वाली कठिनाइयों की भी चिंता बनी रहती है। मैं आज तक नहीं समझा कि महिलाओं की संख्या भी बढे और महिलाओं की शक्ति भी बढे ये दोनों कार्य एक साथ कैसे संभव है। यदि महिलाओं की मांग बढेगी तो उनकी शक्ति अपने आप बढेगी और यदि महिलाओं की आवष्यकता कम होगी तो शक्ति पर बुरा प्रभाव पडेगा किन्तु राजनेताओं को इस बात की कोई चिंता नहीं।

हमारे संत गुरु भी परम्परागत परिवार व्यवस्था में कोई संषोधन न करके महिला सषक्तिकरण का घातक समर्थन कर रहे है। स्पष्ट है कि परिवार में महिलाओं को सम्पत्ति तथा परिवार संचालन में समानता का अधिकार मिलना चाहिए जो अभी एकपक्षीय रुप से पुरुषों के पक्ष में है। हमारे संत लोग कोई ऐसे प्रयास नहीं कर रहे है कि परिवार में सम्पत्ति और परिवार संचालन में महिला पुरुष का कोई भेद भाव न रहे अर्थात कानूनी और सामाजिक आधार पर सम्पत्ति और परिवार संचालन में सब समान हो। हमारे नासमझ संत हमारे धूर्त राजनेताओं के चक्कर में फंसकर महिला सषक्तिकरण का घातक नारा लगाने में सहयोग करने लगे है, जो ठीक नहीं। परिवार व्यवस्था लोकतांत्रिक हो इसमें हमारे संत महात्माओं को बुराई दिखती है। तो दूसरी ओर महिला सषक्तिकरण जैसी घातक बीमारी में उन्हें कोई बुराई नहीं दिखती । यहॉं तक कि अनेक संतगुरु तो अन्य सामाजिक कार्य छोडकर बेटी बचाओं जैसे नारे के प्रचार में ही लग गये है।

किसी भी व्यक्ति को यदि विषेष शक्ति दी जाती है तो उसके दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती है और उस पर नियंत्रण के लिए भी विषेष प्रयास करने पडते है किन्तु यदि किसी वर्ग को विषेष अधिकार दिये जाये तो उस वर्ग के धूर्त लोग समाज के अन्य शरीफ लोगों का भरपूर शोषण करते है। परिणामस्वरुप धूर्तो की शक्ति मजबूत होती जाती है। आज यदि भारत में धुर्तता अधिक शक्तिषाली हो रही है तो उसका एक मात्र कारण है विभिन्न वर्गो को विषेष अधिकार दिया जाना। महिला सषक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को विषेष अधिकार दिया जाना भी धूर्त महिलाओं द्वारा शरीफ पुरुषों के शोषण का हथियार बनना निष्चित है बल्कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि मुट्ठी भर धूर्त महिलाए शरीफ परिवारों की महिलाओं तक का शोषण करती है। सास और बहू में जो जितनी अधिक धूर्त होगी वह उतनी ही अधिक शरीफ महिला का शोषण करेगी क्योंकि भारत का महिला सषक्तिकरण का नारा धूर्त महिलाओं के लिए एक हथियार का काम करता है। धुर्तो का सषक्तिकरण हमेषा अन्यायपूर्ण होता है और इसलिए किसी वर्ग को कभी भी विषेषाधिकार नहीं देना चाहिए।

आज भारत में संवैधानिक रुप से सबको समान अधिकार प्राप्त है। उस अधिकार में किसी भी रुप में छेडछाड करना उचित नहीं किन्तु स्वार्थी तत्व महिला सषक्तिकरण के नाम पर निरंतर ऐसी छेडछाड में व्यस्त हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम महिला सषक्तिकरण के घातक नारे के विरुद्ध जनमत जागृत करें। जो पुरुष अन्जाने में भ्रमवष इस नारे का समर्थन कर रहे है उन्हें हम वास्तविकता समझाने का प्रयास करें। जो लोग वर्तमान सामाजिक विकृति में किसी प्रकार के किसी संषोधन के विरुद्ध है उन्हें भी हम सहमत करें कि वे महिला पुरुष के बीच भेदभाव को न चलने दें। हम सरकार को भी तैयार करें कि वह महिला सषक्तिकरण जैसे घातक प्रयास को छोड दें किन्तु सबसे अधिक सतर्कता उन महिलाओं से आवष्यक है जो अपनी नाक कटने में भगवान का दर्षन होने का घातक विचार समाज में फैला रही है। इन महिलाओं के पास न तो कुछ अन्य लिखने को है,न बोलने को। ये परम स्वतंत्र हैं। इन्हें न परिवार चलाना है न समाज चलाना है। या तो ऐसी मुट्ठी भर महिलाये अपने शारीरिक या भौतिक सुख के लिए ऐसा दुष्प्रचार करती है या ये किसी विदेषी एजेंट के रुप में विदेषी धन लेकर यह महिला सषक्तिकरण का नारा प्रचारित करती है। हमें इस मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए कि हमारे परिवारों की महिलाओं के बीच इस घातक दुष्प्रचार के विषाणू पैदा न हो पावे। ऐसी मुट्ठी भर पेषेवर महिलाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बल्कि मैं तो यहॉं तक सोचता हूँ कि इस प्रकार की विचारधारा युक्त महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। किसी

परिवार के सदस्य अपने आंतरिक जीवन में मिल बैठकर अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हों यहॉ तक उचित है किन्तु उनके आंतरिक मामलों में टकराव पैदा करने का प्रयास बहुत अधिक घातक होगा। यह भी एक सच्चाई है । परिवार व्यवस्था स्त्री और पुरुष के बीच मिलकर तीन पैर की दौड के समान है जिसमें दोनों को मिलकर उसके तरीके खोजने हैं। बाहर के लोगों की सलाह या कानूनी हस्तक्षेप उस प्रतिस्पर्धा में हमेषा नुकसान दायक होगा। इस दौड में पुरुष को मजबूत होना चाहिए या महिला को यह वे दोनों मिलकर तय करेंगे अथवा वे बाहर के लोग जो स्वयं इस दौड में प्रतिस्पर्धी है। दुर्भाग्य से बाहर के लोग परिवार व्यवस्था में हस्तक्षेप करने में सफल हो रहे है जिसमें सरकार और ऐसे चालाक लोगों के बीच एक तालमेल दिख रहा है। हमारे लिए उचित है कि हम महिला सषक्तिकरण के प्रयास के नाम पर हो रही किसी भी ऐसी योजना को विफल करने में भरपूर सहयोग करें। इस निमित्त हमें चार काम करने चाहिये–1 पारंपरिक परिवार व्यवस्था की जगह लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था को प्रोत्साहित करें। 2 पुरुषों को इस बात के लिए तैयार करे कि महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करने की आदत डाले। 3 महिलाओं को इस बात के लिए तैयार करे कि उनके साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं हो रहा है बल्कि अन्याय का प्रचार करके सहजीवन और परिवार व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुॅचायी जा रही है। 4 महिलाओं को यह भी आभाष कराया जाये कि यदि पति पत्नी के बीच अविष्वास की दीवार खडी होगी तो वह महिलाओं के लिए भी हानिकारक होगी। क्योंकि महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। यदि अविष्वास होगा तो संतानउत्पत्ति में भी कठिनाई होगी और उनके लालन पालन संस्कार में भी। यदि हम ये चार बातें समझाने में सफल हो जाये तो महिला सषक्तिकरण का नारा लगाने वाले स्वार्थी तत्व अपने उददेष्य में सफल नहीं हो पायेंगे।

प्रष्नोत्तर

(1) आचार्य पंकज वाराणसी

प्रष्न –आप जब भी लिखते है तो महिलाओं के विरुद्ध ही रहते है इसका क्या कारण है?

उत्तर–मैं हमेषा महिलाओं के विरुद्ध रहता हूॅ, यह बात अर्द्धसत्य है। आचार्य जी को यह बात अच्छी तरह जानकारी है कि हमारी आंतरिक परिवार व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त है। हमारा परिवार न परम्परागत व्यवस्था से चलता है न ही आधुनिक अथवा कानूनी व्यवस्था से। बल्कि हमारा परिवार पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित होता है। इस परिवार में प्रत्येक सदस्य को सम्पूर्ण सम्पत्ति पर समान रुप से सामूहिक अधिकार प्राप्त है। इसमें महिला पुरुष बालक वृद्ध का कोई भेद नहीं है। हमारे परिवार में मुखिया का चयन भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है तथा परिवार की बैठक में सभी सदस्यों को समान रुप से अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी समय अपना हिस्सा लेकर परिवार छोडने की स्वतंत्रता है। चाहे वह महिला हो या पुरुष। इसी तरह परिवार में अनुषासन का भी कठोरता से पालन होता है और किसी भी सदस्य को कभी भी उसका हिस्सा देकर परिवार से हटाया जा सकता है।

यह बात सही है कि मैं महिलाओं को समान अधिकार देने का पक्षधर हूॅ और ,विषेष अधिकार देने के विरुद्ध । मुझे पूरा विष्वास है कि यदि परिवार के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार दे दिया जाये और विषेष अधिकार हटा लिए जाये तो परिवार टूटेंगे नहीं। हमारा परिवार हो सकता है भारत में अकेला लोकतांत्रिक परिवार हो किन्तु 50 वर्षो से लोकतांत्रिक तरीके से सफलतापूर्वक चल रहा है। इसलिए मैं यह कह सकता हूॅ कि किसी को भी सषक्त करना समानता के विरुद्ध है,घातक है तथा इसका विरोध किया जाना चाहिये।

भारत के राजनेता दो भागो में बटकर आपस में टकराव का नाटक करते रहते है। एक परम्परागत हो जाता है तो दूसरा आधुनिक। एक महिला स्वतंत्रता की बात करता है तो दूसरा वैष्याओं और बारबालाओं तक पर प्रतिबंध लगाता है। एक कन्या बचाओं की बात करता है तो दूसरा महिला सषक्तिकरण की बात करता है। एक महिलाओं के लिए अलग थाने,अस्पताल, रेल डब्बे की बात करता है तो दूसरा सह षिक्षा, एक साथ सरकारी नौकरी, एक साथ राजनीति की बात करता है। मैं देखता हूॅ कि दिल्ली में सरकार की तरफ से बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि महिलाओं पर अत्याचार कानूनन अपराध है। प्रष्न उठता है कि क्या समाज में किसी पर अत्याचार की छूट प्राप्त है? यदि नही तो फिर महिला शब्द की आवष्यकता क्या है। ये कहते है कि कन्या भ्रुण हत्या को रोका जाये सब जानते है कि बालको की भ्रुण हत्या आमतौर नहीं होती। फिर भ्रुण हत्या को ही क्यों न रोक दिया जाये। उसमें कन्या शब्द क्यों? स्पष्ट है कि राजनीति का उददेष्य वर्ग संघर्ष को विस्तार देना हैं। आवष्यक है कि पति पत्नी के बीच भी अविष्वास की दीवार खडी की जाये और इसके लिए महिला सषक्तिकरण कन्या भ्रुण हत्या नियंत्रण बेटी बचाओं बेटी पढाओं जैसे समाज तोडक परिवार तोडक नारे बहुत उपयोगी होते है। यदि महिलाओ को भी समान अधिकार की बात करना महिला विरोधी कार्य है तो मैं इस आरोप से सहमत हूॅ।

2 मनोज द्विवेदी जी –

प्रष्न–परम्परागत परिवार और आधुनिक परिवार की तुलना में लोकतांत्रिक परिवार कैसा होता है? तीन पैर की दौड से आपका आषय क्या है?

उत्तर –परम्परागत परिवार व्यवस्था में परिवार का मुखिया जन्म से ही बन जाता है जबकि आधुनिक परिवार व्यवस्था में कोई मुखिया होता ही नहीं। परम्परागत परिवार व्यवस्था में घुटन होती है तो आधुनिक परिवार व्यवस्था में टूटन। परम्परागत परिवार व्यवस्था में शासन होता है तो आधुनिक में उच्श्रृंखलता। लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था में न घुटन होती है, न टूटन होती है। ऐसी व्यवस्था में शासन या उच्श्रृंखलता की जगह अनुषासन होता है। ऐसी परिवार व्यवस्था में कानूनी हस्तक्षेप भी न के बराबर होता है। मैं सहमत हूॅ कि परिवार एक संगठनात्मक इकाई है, प्राकृतिक इकाई नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ना समझी में परिवार को प्राकृतिक इकाई मान लिया। अब इसे ठीक करने की जरुरत है।

तीन पैर की दौड का आषय यह है कि सामान्यतया परिवार एक स्त्री और पुरुष का मिलाजुला संगम होता है। प्रत्येक परिवार अन्य परिवारों से प्रतिस्पर्धारत होता है। इस प्रतिस्पर्धा में परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी क्षमतानुसार सहभागिता होती है। परिवार के लोग ही अपने सदस्यों की क्षमता देखकर उसकी सक्रियता का निर्धारण करते है। प्रतिस्पर्धारत अन्य लोगों में से कुछ को ऐसी व्यवस्था से जलन होती है और वे सफलतापूर्वक चल रही परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए परिवार के सदस्यों को इधर उधर की बाते करके असंतोष पैदा करते है। महिला सषक्तिकरण इसी प्रकार का परिवार तोडक नारा है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है । तब किसी व्यक्ति को विषेष अधिकार देने की बात करना समाज द्रोह माना जाना चाहिए । दुर्भाग्य से आज ऐसे नारो को सामाजिक कार्यों के साथ जोडा जा रहा है।

3 प्रष्न– गॉधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात की, जयप्रकाष जी ने लोकस्वराज्य की और अन्ना हजारे ने ग्राम सभा सषक्तिकरण की या राईट टू रिकॉल की। आप इन सबसे हटकर ग्रामसंसद की बात कर रहे हैं। ग्रामसंसद अन्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है?

उत्तर– एक कहानी सुनी है कि 5 विद्वान कहीं जाने के लिए रात भर नदी में नाव चलाते रहे और सुबह होते ही देखा कि नाव वहीं खडी है क्योंकि नाव जिस रस्सी के द्वारा पेड से बंधी थी वह रस्सी ही नहीं खोली गई थी। हमें लगता है कि 70वर्षो तक हमने अपने संविधान की रस्सी को संसद से बांधे रखा और बिना रस्सी खोले ग्राम गणराज्य, राईट टू रिकॉल, लोकस्वराज्य के प्रयास करते रहे। जीवन भर जयप्रकाष नारायण, राममनोहर लोहिया,विनोबा भावे, अन्ना हजारे आदि पूरी ताकत से लगे रहे और कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि संविधान आज भी उसी तंत्र के नियंत्रण में है

जिसे मुक्त नहीं कराया गया। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अन्य कार्यो के साथ साथ संविधान को संसद से मुक्त कराने का प्रयास भी लेकर चलें। कल्पना करिये कि हमने ग्राम गणराज्य या राईट टू रिकॉल प्राप्त भी कर लिया हो और कुछ वर्षो बाद उसे संसद ने संविधान संषोधन करके वापस ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं।

विचारणीय प्रष्न यह है कि संसद के अधिकार क्या हों और उसकी अंतिम सीमा क्या हो यह एक सौ पचीस करोड नागरिक या दस लाख ग्राम सभायें तय करेगी अथवा एक सौ पचीस करोड नागरिक या दस लाख गॉव के अधिकारों की अंतिम सीमा क्या हो यह संसद तय करेगी? मैं तो इस मत का हूॅ कि तंत्र के अधिकारों की अंतिम सीमा तय करने की लोक को स्वतंत्रता होनी चाहिए और यदि ऐसी स्वतंत्रता नहीं है तो वह गुलामी है। इसका अर्थ है कि हमें गुलामी से मुक्ति के लिए जनमत जागरण करना चाहिए। गॉधी जी की पहचान इस बात से नहीं बनी थी कि उन्होने चरखा खादी, शराब बंदी, अछूतोद्धार सरीखे अनेक काम किये थे। बल्कि उनकी पहचान का पहला आधार स्वतंत्रता संघर्ष था। गॉधी जी के अनुसार भारत की स्वतंत्रता एक पडाव मात्र थी। लक्ष्य नहीं। हमारे नेताओं ने गॉधी ,जयप्रकाष, विनोबा लोहिया अन्ना को धोखा देकर स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक सीमित कर दिया जबकि उसका वास्तविक अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत मामलों में गलती करने तक के निर्णय की असीम स्वतंत्रता। यदि ऐसी स्वतंत्रता में किसी अन्य के द्वारा बाधा पहुचायी जाती है तो वह अपराध है भले ही वह अधिकार उसे संविधान ने ही क्यों न दिया हो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि व्यवस्था परिर्वतन अभियान कमेटी को ग्रामसंसद के मुददे को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। विचार करिये कि संविधान ने ग्राम स्वराज्य का आदेष 25 वर्ष पहले ही दे दिया था किन्तु उन 29 अधिकारों में से एक भी अधिकार आज तक गॉवों को नहीं मिल सका । क्या यह आदर्ष स्थिति मानी जायेगी कि हम अपने अधिकारों के लिए अलग अलग जनमत जागरण करते रहें या संसद के सामने भिखारी के समान निवेदन करते रहें। मैं समझता हूॅ कि यह स्थिति ठीक नहीं है। समय आ गया है कि व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी फिर से एक नये स्वतंत्रता आन्दोलन की भूख जाग्रत करने का अभियान चलावें। संभव है कि इससे प्रबल जनमत जाग्रत हो सकेगा।

4 दिलीप मृदुल

प्रष्न –आपने जिन भी लोगो के नामोल्लेख के साथ अपनी राय दी है, उनमे मै गोविन्दाचार्य जी, रामदेव जी, अरविन्द केजरीवाल जी और रोषनलाल जी के बारे मे साफ राय रखता हूॅ। केजरीवाल तो नीयत से ही सही नही है। वह सिर्फ सत्तालोलुप है, जबकि रोषनलाल जी की एक मात्र कमजोरी है कि उन्होने अमीरी रेखा को जादू की छडी समझ रखा है। शेष वो काम के व्यक्ति हैं और उनमे गजब की मौलिकता है। रामदेव जी वित्तेषणा और लोकेषणा की महत्वाकांक्षा से उबर नही पा रहे हैं। उनके परामर्षदाता उनको भयभीत और संकीर्ण बनाते हैं। फिर भी उनमें लोकेषणा के लिये वित्तेषणा को त्यागने की भावना भी दिखती है जो बडी महत्व की है। रही गोविन्दाचार्य जी की बात तो वे गजब की समझ रखने वाले व्यक्ति है और उनकी वैचारिकी भी व्यावहारिक है। वो व्यवस्था परिवर्तन के लिये सबसे उपयोगी व्यक्ति हो सकते हैं। नरेन्द्र मोदी जी इस समय सबसे सामर्थवान व्यक्ति हैं जो यदि मन और विचार से व्यवस्था परिवर्तन के लिये संकल्पित हो जाये तो भारत का कायाकल्प सबसे आसान दिखता है। लेकिन उनमे व्यवस्था की आवष्यक समझ का अभाव दिखता है, और वो भी अपनी सचिव/सलाहकार मंडली के चंगुल मे फसे नजर आते है।

उत्तर– ग्राम संसद पर विचार करते समय हमारे कई नये पुराने साथियों ने नेतृत्व का प्रष्न उठाया है। लोक तंत्र और ग्राम संसंद विषय पर विचार मंथन और स्थानीय प्रयोग लगभग साठ वर्षो से चल रहा है। मै एक विचारक मात्र हूॅ, संगठन कर्ता के कोई गुण मुझमें नही हैं। मै व्यवहार कुषल भी नही हूॅ। इसलिये मैने अपने को हमेषा नेतृत्व से दूर रखा । नेतृत्व के विषय पर कई प्रयोग हुए। प्रसिद्ध गांधी वादी ठाकुर दास जी बंग को 1999 मे नेतृत्व दिया गया । बंग जी भी स्वास्थ और उम्र के कारण यह कार्य नहीं करना चाहते थे। उन्होने अमरनाथ भाई और महावीर त्यागी को तैयार किया। महावीर त्यागी ने असहमति व्यक्त कर दी और अमरनाथ भाई ने स्वीकार करने के कुछ माह बाद अन्य गांधीवादियों के दबाव मे दायित्व छोड दिया। मैने गोविन्दाचार्य जी को तैयार किया । किन्तु वे तीन चार वर्षो के बाद अन्य मुददो पर तो सहमत थे किन्तु लोक संसद से असहमत हुए। बंग साहब ने मृत्यु के पूर्व यह सारा दायित्व सिद्धार्थ शर्मा को सौपा और हमारी पूरी टीम ने उनके साथ मिलकर अरविन्द केजरीवाल को आगे बढाने का प्रयास किया। यहां तक कि कई वर्षो तक पूरी टीम उनका समर्थन और सहयोग करती रही। जून 14 मे अरविन्द जी ने लोक संसद के विचार से असहमति प्रकट कर दी ओर हमारा मोह भंग हो गया। अक्टूबर 15 मे नोयडा मे देष भर के साथी इकठ्ठा हुए और विचार मंथन हुआ। वहां तय हुआ कि भविष्य में किसी व्यक्ति के नेतृत्व की अपेक्षा सामूहिक नेतृत्व से कार्य शुरू हो। उसके बाद धीरे धीरे सिद्धार्थ शर्मा ने भी सम्पर्क छोड दिया। अब सामूहिक नेतृत्व के आधार पर एक अस्थाई टीम हर दिषा मे सक्रिय है।

5 प्रष्नः– वर्तमान समय में पूरा भारत अनिष्चय के दौर से गुजर रहा है। आप भी स्पष्ट नहीं कर रहे कि नोट बंदी भारत के हित में है या नहीं । कृपया और स्पष्ट करें।

उत्तरः– मेरा काम किसी समाधान के गुण दोष की व्याख्या करना मात्र है। किस दिषा मे बढना है यह निर्णय करना आप सब का काम है, मेरा नहीं।

समाज के समक्ष तीन स्थितियॉ होती हैं– (1) तंत्र आश्रित समाज व्यवस्था (2) तंत्र मुक्त समाज व्यवस्था (3) तंत्र रहित समाज व्यवस्था। तंत्र रहित की कल्पना युटोपिया है अतः तंत्र मुक्त या तंत्र निर्भर पर सोचा जा सकता है। अर्थव्यवस्था भी सम्पूर्ण व्यवस्था का एक छोटा सा भाग है। अर्थव्यवस्था में दो मार्ग संभव हैं–तंत्र मुक्त व्यवस्था की दिषा में बढना हो तो टैक्स सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। वस्तु विनिमय को पूरी तरह कर मुक्त करना होगा तथा इनकम टैक्स आदि भी समाप्त होंगे। सरकार के खर्च के लिए सम्पत्ति कर लगाकर तथा खर्च घटाकर व्यवस्था करनी होगी। राज्य मुक्त वस्तु विनिमय की स्वतंत्रता होगी तथा सरकारी करेंसी में एक लाख रु का नोट भी मान्य करना होगा। यदि हम तंत्र निर्भर व्यवस्था की ओर बढना चाहते है तो पूरी तरह करेंसी को विभिन्न चरणों में समाप्त करना होगा जिससे वस्तु विनिमय में टैक्स की किसी तरह की कोई हेरा फेरी न हो सके। सारा वस्तु विनिमय तथा आय व्यय बैंक के माध्यम से ही करना होगा। दोनों व्यवस्थाऐं एक साथ नहीं चल सकतीं क्योंकि दोनों के अलग अलग गुण दोष हैं। वर्तमान भारत तंत्र निर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ रहा है जिस दिषा में नरेन्द्र मोदी का साहसपूर्ण कदम बिल्कुल उचित है। होना तो यह चाहिए की सरकार साथ ही यह भी घोषित कर देती कि सन 2018 के प्रारंभ के बाद 50 रु से अधिक के नोट भी बंद कर दिये जायेंगे। इस घोषणा के बाद भारत में अनिष्चय का वातावरण नहीं होता और हर आदमी यह समझ जाता कि अब उसे किस दिषा में बढना है। सम्भवतः इस घोषणा के बाद बैंको में लम्बी लाईने लगनी बंद हो जाती क्योंकि करेंसी के प्रति मोह टूट जाता। अब भी सरकार ऐसा कर दे तो बहुत कुछ सुधर सकता है।

मैं स्पष्ट हूॅ कि मैं राज्य आश्रित व्यवस्था को आदर्ष नहीं मानता किन्तु मैं यह जानता हूॅ कि राज्य आश्रित व्यवस्था का यही एक मात्र मार्ग है। आदर्ष स्थिति अर्थात राज्य मुक्त समाज व्यवस्था की ओर बढने के लिए विष्वस्तरीय प्रयत्न करने होंगे जिसकी पहल भारत से शुरु हो चुकी है। मैं जानता हूॅ कि 'व्यवस्थापक' भारत की एक मात्र ऐसी संस्था है जो राज्य मुक्त व्यवस्था की ओर बढने के लिए जनमत जागरण कर रही है। किन्तु मैं संतुष्ट हूॅं कि इस संबंध में निरंतर प्रयास बढ़ रहे है तथा मुझे भविष्य में स्पष्ट दिखता है कि या तो जागृत जनमत के समक्ष वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था झुकेगी या प्रबल जनमत उसे झुकाने में सफल होगा। मैं चाहता हूॅ कि वर्तमान आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करने की आवष्यकता है तथा साथ ही राज्य मुक्त व्यवस्था की ओर तेजी से जनमत जागरण में भी लगने की आवष्यकता है। स्पष्ट है कि समाधान के प्रयत्न टुकडें न करके समग्र समाधान की ओर बढना होगा।

6 आचार्य पंकज जी

प्रष्नः– आपने यह लिखा कि व्यापारी यदि 1000 का पुराना नोट लेकर 800 सौ का भी सामान या नया नोट देता है तो कोई अपराध नहीं है और न ही ऐसा करना अनैतिक कार्य है। आप एक व्यापारी परिवार से जुड़े हुये है और ऐसा लगता है कि आपने यह लिखकर व्यापारियों का अनुचित पक्ष लिया है।
उत्तरः– पहली बात तो यह है कि मैं व्यापारी परिवार का न हूँ, न जुड़ा हूँ। मेरा किसी भी प्रकार के व्यापार से कोई संबंध नहीं है। सच्चाई यह है कि मैं ब्राम्हण रहा और अभी वानप्रस्थी हूँ। मैं सिर्फ विचार मंथन तक सक्रिय हूँ और इसलिए मैं उस मंथन परिवार का सदस्य हूँ जिसमें आप सरीखे अनेक अच्छे विद्वान जुडे हुए है।

दूसरी बात यह है कि मिलावट और कमतौलना या किसी व्यक्ति को धोखा देना अपराध है। टैक्स चोरी कोई अपराध नहीं होता और न ही कोई अनैतिक कार्य होता है। टैक्स चोरी किसी अन्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार पर आक्रमण नहीं होता। टैक्स चोरी सिर्फ गैरकानूनी होता है और इसलिए टैक्स चोरी को दो नम्बर अर्थात असामाजिक कार्य माना जाता है सामाजिक या समाज विरोधी अर्थात एक नम्बर या तीन नम्बर का नहीं।

तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति 1000 रु के पुराना नोट लेकर 800 रु का नया नोट या सामान देता है वह व्यक्ति जब पुराना नोट इक्टठा होने पर बैंक में जमा करता है तब सरकार उससे दस प्रतिषत कम करके नया नोट वापस करती है। इसका अर्थ हुआ कि उस व्यापारी के पास इतना परिश्रम करने के बाद भी दस प्रतिषत या उससे भी कम बचत होती है। साथ ही परजीवी लोग उसे टैक्स चोर कहकर बदनाम अलग से करते है। मेरे विचार में दो प्रकार के लोग है एक सहायक और दूसरे शोषक। मैं यह मानता हूँ कि नोट का व्यापार करने वाला निःषुल्क सेवा करने वाले की तुलना में बहुत कमजोर होता है क्योकि उसका कार्य दो नम्बर सम्मान योग्य नहीं है। किन्तु उक्त नोट का व्यापार करने वाला उन सबसे अच्छा है जो कोई मदद नहीं कर रहे बल्कि बाहर बैठे बैठे मदद करने वालो की समीक्षा या आलोचना करते है। इन्हे ही परजीवी कहा जाता है। दुर्भाग्य है कि आज परजीवी नेता मीडिया कर्मी इस प्रकार दो नम्बर का काम करने वालो की आलोचना करके उन्हे ब्लैकमेल करते है और इसी आधार पर अपनी रोजी रोटी भी चलाते है।

मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि व्यापार से जुडे लोगों का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे परजीवियों की पोल भी खुलनी चाहिए।

(7) रामवीर श्रेष्ठ

प्रष्न– प्रष्न (1) कोई ऐसी तरकीब बताइये जिसके परिणाम स्वरूप कालाधन बनना ही बंद हो जाये।
(2) वर्तमान नोटबंदी आदेष के क्या परिणाम हो सकते है।

उत्तर– कोई भी धन न कभी रंग मे काला होता है न ही सफेद। सरकार से टैक्स बचाकर जो धन इकठठा होता है वह काला कहा जाता है, और टैक्स दिया हुआ धन सफेद । टैक्स दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर आम तौर पर इनकम टैक्स को माना जाता है, तथा अप्रत्यक्ष कर जी एस टी के अंतर्गत आने वाले अनेक टैक्सो को। यदि कोई ऐसी तरकीब हो कि इन दो टैक्सो से बचने की आम लोगो की इच्छा न हो अथवा आसानी से न बचा जा सके, तब कालाधन पैदा नही होगा। इसके लिये सबसे अच्छा तरीका तो टैक्स सिस्टम मे बदलाव है। सिर्फ एक प्रकार का टैक्स लगा दिया जाये और वह टैक्स है, सम्पूर्ण चल अचल संपत्ति पर दो प्रतिषत वार्षिक टैक्स। अन्य सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर हटा दिये जाये तो प्रत्यक्ष करो की टैक्स चोरी लगभग रूक सकती है। गरीबी रेखा के नीचे की आधी आवादी को दो हजार रूपया प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह उर्जा सब्सीडी देकर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हटा दिये जाये तथा उक्त सारा टैक्स सिर्फ कृत्रिम उर्जा अर्थात डीजल पेट्रोल गैस बिजली केरोसिन और कोयला पर लगा दिया जाये तो सारी अप्रत्यक्ष टैक्स चोरी भी रूक जायेगी। इस कदम से विदेषो का सारा काला धन भी भारत मे आ जायेगा तथा भविष्य मे नही के बराबर बनेगा जिसके लिये बहुत कठोर दंड की व्यवस्था की जा सकती है। इस कदम से लगभग नब्बे प्रतिषत विभाग अपने आप समाप्त हो जायेगे। इससे भ्रष्टाचार भी रूकेगा।

नगद रूपया सिर्फ वस्तु विनिमय को सुविधा जनक बनाने का माध्यम मात्र है, कोई धन नहीं। लोग भ्रम वष उसे धन समझते है क्योकि उस रूपये मे कोई वस्तु कभी भी स्वेच्छा से खरीदी जा सकती है। वर्तमान नोटबंदी का व्यापक प्रभाव पडेगा यह निष्चित है। वर्तमान समय मे औसत इनकम टैक्स बीस प्रतिषत तथा लगभग इतना ही अप्रत्यक्ष कर होता है। इस चालीस प्रतिषत टैक्स से वर्तमान समय मे करीब आधा सरकार को मिलता है तथा आधा बचा लिया जाता है। नोटबंदी के कारण सिर्फ एक ही परेषानी होगी कि वह बीस प्रतिषत टैक्स बचाना कठिन हो जायेगा। इसका अर्थ हुआ कि आम लोगो की आय चाहे गरीब हो या अमीर कुल मिलाकर बीस प्रतिषत तक घट जायेगी । स्वाभाविक है कि आम लोगो को इसके प्रभाव से बचने के लिये अपने कुल खर्चे मे बीस प्रतिषत कमी करनी होगी। यह टैक्स देने और खर्चे घटाने की प्रक्रिया ही परेषानी के रूप मे दिख रही है,और यदि इस परेषानी को सहजता से स्वीकार कर लिया जाये तो यह नोटबंदी का आदेष देष के लिये बहुत लाभदायक है। इस संबंध मे और क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पडेगा। यह मै नही जानता। क्योकि मुझे न तो जी डी पी के बारे मे कुछ पता है न ही सेन्सेक्स और उसके प्रभाव के विषय मे। मैं बैको मे जमा या निकासी के गणित को भी नही समझता। मैं यह भी नही समझ पा रहा कि इस कदम का राजनैतिक प्रभाव क्या होगा? यदि अधिक से अधिक संभव लेनदेन बैको के माध्यम से होने लगे तो कोई समस्या नही रहेगी, और यदि टैक्स देने की हिम्मत बना ली जाये तो बैको से लेनदेन सहज हो जायेगा। मैंने तो सिर्फ अपने मित्रो को यही सलाह दी है कि वे सभी वस्तुओ के उपयोग मे बीस प्रतिषत कटौती करने की आदत डाले और पूरी तरह नोटबंदी का खुला समर्थन करे।

(8) ओमप्रकाष दुबे,नोयडा

प्रष्नः–(1) नोट वायदा है, या मूल ?
(2) नोट बंदी के बाद सरकार के पास बहुत टैक्स इकटठा हो जायेगा। तब क्या अप्रत्यक्ष कर कम होगा?
(3) वर्तमान नोट बंदी में इतनी अफरा तफरी मची है। ऐसा न हो इसका आपके विचार में क्या तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान हो सकता है?

उत्तर–(1) नोट किसी भी परिस्थिति में मूल नहीं है क्योंकि नोट वस्तु विनिमय का एक कृत्रिम माध्यम मात्र है। पुराने जमाने में माध्यम के रुप में सोना और चांदी का उपयोग किया जाता था। स्वतंत्रता के आसपास तथा उसके बाद सोना या चांदी को माध्यम से हटाकर सरकार के आष्वासन को माध्यम मान लिया गया अर्थात वह सिर्फ वायदा है,मूल नहीं।

(2) सरकारों की नीयत खराब है सरकारें समाज को गुलाम बनाकर रखने के लिए अधिक से अधिक टैक्स वसूल करना चाहती है तथा बदले में आम लोगों को सुविधायें देकर अपने प्रति कृतज्ञ बनाती हैं। आम जनता जिस सीमा तक सहन करने की क्षमता रखेगी, सरकारें उस सीमा तक टैक्स वसूल करेंगी ही। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में चाहे जितना भी धन सरकार के पास क्यों न इकटठा हो जाये किन्तु सरकारें न प्रत्यक्ष कर घठायेंगी, न ही अप्रत्यक्ष कर। यदि इस लूटपाट से बचना है तो जनमत जागरण ही एकमात्र मार्ग है।

(3)वर्तमान नोटबंदी से मची अफरा तफरी का तात्कालिक समाधान यह हो सकता था कि सरकार नोट बंदी के ठीक दूसरे दिन अपने सवा करोड सरकारी कर्मचारियों को 100–100 लोगों से सम्पर्क का जिम्मा देती और उनसे पूछती कि उनके पास 1000 और 500 से किस नम्बर के कितने नोट हैं। एक दिन में यह आंकडा इक्टठा किया जाता। जो लोग बाहर होते उनके लिये भी कोई व्यवस्था की जा सकती थी। दूसरे दिन बैंको को यह आदेष होता कि जिन्हें प्रथम पांच दिनों में पैसे की अधिक जरुरत है, वे 20 प्रतिषत अतिरिक्त टैक्स देकर नया नोट ले सकते है। यह कटौती प्रति पांच दिन में घटते घटते 20 दिनों में पूरी तरह शून्य हो जाती और लेन देन सामान्य हो जाता। स्वाभाविक है कि कोई अफरा तफरी नहीं मचती।

दीर्घकालिक समाधान भी है। मैंने लिखा है कि दो प्रतिषत सम्पत्ति कर तथा कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि करके सभी प्रकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर समाप्त किये जा सकते है। वर्तमान मुद्रा प्रणाली पूँजीवाद की देन है और इस माध्यम से सरकारें देष की अर्थव्यवस्था पर भी अपनी पूरी

नकेल कस कर रखना चाहती है। आप विचार करिये कि जिस व्यवस्था के पास सेना और पुलिस है उसी व्यवस्था के पास आर्थिक शक्ति का भी इक्टठा होना कितना खतरनाक है किन्तु दुनिया के सभी देषों में यह शक्ति का केन्द्रियकरण है तथा भारत भी उसकी नकल कर रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह होता कि देष में विमुद्रीकरण हो जाता अर्थात कोई भी व्यक्ति अथवा ग्राम सभा अपनी मुद्रा चलाने के लिए स्वतंत्र होती और यह दायित्व सरकार के हाथ से हट जाता। सरकार भी अपनी एक मुद्रा चलाती जो उसके आपसी लेन देन में व्यवहार में आती। इससे पूँजीवाद की विचारधारा को गहरा धक्का लगता। मान लीजिये ऐसा करना कठिन हो तो वर्तमान परिस्थिति में स्वतंत्र अर्थपालिका एक बीच का मार्ग हो सकता है। स्वतंत्र अर्थपालिका का अर्थ है न्यायपालिका, विधायिका, और कार्यपालिका के समान ही एक स्वतंत्र अर्थपालिका की व्यवस्था। इससे किसी प्रकार की अफरा तफरी से बचने में दीर्घकालिक सहायता मिल सकती है। किसी प्रकार के टैक्स लगाना सुविधा देना या अन्य किसी प्रकार का आय व्यय अर्थपालिका के अधिकार क्षेत्र में होता । रिजर्व बैंक भी अर्थपालिका के अन्तर्गत होता।

9 प्रष्नः– वर्तमान समय में कट्टरवादी हिन्दुत्व लगातार मजबूत हो रहा है। उसे रोकने के प्रयत्न क्यों सफल नहीं हो रहे।

उत्तरः– यह सही है कि कट्टरवादी हिन्दुत्व लगातार मजबूत हो रहा है। यहॉ तक कि जिस गुजरात में गॉधी विचारधारा की नीव रखी वही गुजरात अब विपरीत विचारधारा का नेतृत्व कर रहा है। इसके दो कारण हैं–

(1) गॉधी के मरते ही सत्ता से जुडे गॉधीवादियों ने गॉधी विचार के विपरीत चलना शुरु कर दिया। गॉधी हत्या के बाद उचित होता कि कट्टरवादी हिन्दुत्व की विचारधारा को कुचल दिया जाता किन्तु इसके ठीक विपरीत कट्टरवादी इस्लाम को प्रोत्साहित करने की नीति लागू की गई। उदारवादी हिन्दुत्व के मन में इसकी लगातार प्रतिकिया हुई। यहॉ तक कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंत आते तक आम हिन्दू अपने को मुसलमानों की तुलना में दूसरे दर्जे का नागरिक समझने लगा। परिणाम हुआ कि भारत का आम जनमानस मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को गॉधी की नीति समझने की भूल कर बैठा। जबकि गॉधी की नीति इसके ठीक विपरीत थी।

(2) राजनीति से दूर रहकर समाज सेवा का कार्य कर रहे गॉधी भक्तों में साम्यवादियों ने अपनी गहरी पैठ बना ली। 65 वर्ष बीतने के बाद भी सर्वोदय कभी साम्यवादियों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ। गॉधी भक्त सर्वोदय एक ओर तो अहिंसा के पक्ष में प्रवचन देता रहा तो दूसरी ओर मुस्लिम आतंकवादियों तथा नक्सलवादी हिंसक लोगों की ढाल बनकर भी सामने आता रहा। यहॉ तक कि ठाकुर दास जी बंग सिद्ध राज ढढा आदि ने जब लोकस्वराज्य की पहल करनी चाही तो सर्वोदय ने पूरी ताकत से उन्हें रोक दिया। भारत के आम जनमानस को यह विष्वास हो गया कि गॉधी विचार एक ढोंग है जो उपर से अहिंसा की बात करता है तो अंदर से हिंसक गतिविधियों को संरक्षण भी देता है। जो उपर उपर लोकस्वराज्य की बात करता है तो अंदर अंदर सत्ता की दलाली भी करता है।

मेरे विचार से भारत के आम हिन्दुओं को ऐसा लगा कि इन गॉधी नामधारी राजनेताओं तथा सर्वसेवा संघ वालो के नकली आचरण की अपेक्षा तो वे लोग अच्छे है जो खुलकर गॉधी का विरोध करते है। कोई ढोंग नहीं करते, समाज को कोई धोखा नहीं देते। यही कारण है कि गॉधी का भारत गॉधी विचारों के विपरीत जाने को मजबूर हो गया।

10 प्रष्नः–आपने दहेज प्रथा का एकपक्षीय विरोध किया हैं जबकि मैं देखता हूँ कि अनेक परिवारों में विवाह के बाद भी दहेज के लिए दबाव डाला जाता है और कभी कभी तो हत्या या आत्महत्या भी हो जाती है। विवाह के पूर्व भी लडका पक्ष इस तरह का मोल भाव करता है जैसे कि लडकी कोई वस्तु हो या गाय हो। इस संबंध में आपने क्यों नहीं सोचा।

उत्तरः– सभी वर्गो में सब प्रकार के लोग पाये जाते हैं। किसी एक वर्ग में अच्छे या बुरे लोगों की संख्या अधिक नहीं होती। इसका अर्थ है कि जितनी संख्या में अच्छे बुरे पुरुष होते हैं उतनी ही संख्या में महिलाओं में भी अच्छे बुरे होते हैं। अनेक परिवारों में यदि पति या सास ससुर से बहू परेषान रहती है तो लगभग उतने ही परिवारों में बहू भी ब्लौकमेल करते देखी जाती है। फिर भी लडकी अधिक आत्महत्या करती है क्योंकि उसे परिवार छोडने की कानूनी या सामाजिक स्वतंत्रता नहीं। भारत में एक गलत अवधारणा प्रचलित है कि परिवार एक प्राकृतिक इकाई है जबकि वास्तविकता यह है कि परिवार एक संगठनात्मक इकाई है जो आपसी अनुषासन और सहमति के आधार पर चलता है। कानून के आधार पर नहीं। परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी परिवार से हटने या हटाने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। आप देखेंगे कि भविष्य में न तो कोई लडकी ब्लैकमेल होगी और न ही किसी को कर सकेगी। दहेज के संबंध में बने कानूनों ने अनेक परिवारों में बहुओं को ब्लैकमेल करने का जो अधिकार दिया है उसके दुष्परिणाम निरंतर दिख रहे हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि अब परम्परागत परिवार व्यवस्था की जगह लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए और परिवार के मामले में सरकार के कानूनी हस्तक्षेप को समाप्त कर देना चाहिये। महिला सषक्तिकरण एक घातक प्रचार है। शराफत सषक्तिकरण, परिवार सषक्तिकरण या समाज सषक्तिकरण का नारा दिया जा सकता है। मैंने राजघाट दिल्ली में भारत सरकार द्वारा प्रदर्षित एक बोर्ड पढा, जिसमें लिखा हुआ था कि महिलाओं पर अत्याचार कानूनन अपराध है। विचार करिये कि क्या भारत में अन्य किसी पर अत्याचार अपराध नहीं हैं? हर अत्याचार अपराध होता है सिर्फ महिलाओं पर नहीं। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

11 प्रष्नः– आपने लिखा है कि दहेज समाप्त हो गया है किन्तु मेरे विचार में यह बात पूरी तरह गलत है। आज भी बिना दहेज के शादियां हो ही नहीं पा रही हैं। आप भारत के किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहॉ दहेज खत्म हो गया हों?

उत्तरः– सम्पूर्ण भारत में ग्रामीण और गरीब परिवारों के लडके बडी मात्रा में अविवाहित हैं। अनेक तो 30–35 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं किन्तु कोई शादी के लिए आ ही नहीं रहा। अनेक उच्च जाति के लडके निम्म जाति तक में विवाह करने के लिए तैयार हैं और वह भी बिना किसी दहेज के । मैं मानता हूँ कि अधिकांष शादियों में अब भी दहेज का लेन देन प्रचलित है क्योंकि गरीब और ग्रामीण की लडकियां सम्पन्न और शहरी वातावरण में जा रही हैं तो उन्हें तो दहेज देना ही पडेगा। आप बासमती चावल खाना चाहते हैं तो महंगाई का रोना क्यों? मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि सामान्यतया लडकी के माता पिता को औसत परिवार का लडका पसंद ही नहीं आ रहा। यह स्थिति किसी एक क्षेत्र की नहीं है बल्कि सम्पूर्ण भारत की हैं। आप किसी एक मोहल्ले के 21 परिवारों के 18 से अधिक की लडकियों और लडकों की गिनती कर के देखिये जो अविवाहित हों। मैं आष्वस्त हूँ कि 40 और 60 का अनुपात मिलेगा। स्पष्ट है कि मेरी बात सही होगी।

12 प्रष्न– जलीकटटू की चर्चा करते समय आपने संघ की कटु आलोचना की जबकि संघ एकमात्र हिन्दुत्व का संरक्षक है।

मैने संघ के विषय मे कोई अनुकूल या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है क्योकि मेरे विचार मे संघ हिन्दुत्व की एक शाखा मात्र है, हिन्दुत्व नहीं। हिन्दुत्व चार के समन्वय का नाम है1 विचार 2 सुरक्षा 3 सुविधा 4 सेवा। इन्हे ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैष्य , शूद्र प्रवृत्ति के नाम से कहा जाता है। हिन्दुत्व गुण प्रधान होता है। संगठन प्रधान नहीं। इस्लाम और साम्यवाद संगठन प्रधान होते हैं। ये दोनो छत्रिय प्रवृत्ति के माने जाते हैं। संघ का ढांचा भी संगठन प्रधान क्षत्रिय प्रवृत्ति का है और उसमें स्वतंत्र विचार के स्थान पर अनुषासन को अधिक महत्व दिया जाता है जबकि हिन्दुत्व मे स्वतंत्र विचार का अन्य सभी समूहो की अपेक्षा अधिक महत्व है। संघ की मान्यता है कि गाय, गंगा, मंदिर यदि रहेंगे तो हिन्दुत्व बचा रहेगा। मेरे विचार मे हिन्दुत्व यदि बचा रहेगा तो गाय, गंगा और मंदिर का भी अस्तित्व बच जायेगा और यदि हिन्दू विचार धारा ही संकट मे आ गई तो न हिन्दुत्व बचेगा न ही गाय, गंगा, मंदिर। हिन्दुत्व एक जीवन पद्धति है। उसे सुरक्षा की भी आवष्यकता है किन्तु सुरक्षा के नाम पर जीवन पद्धति ही बदल जाये यह अच्छी बात नही। मै संघ विरोधी नही , मै चाहता हूँ कि चारो के बीच संतुलन बना रहना चाहिये जो अभी खतरे में दिख रहा है। मुझे इस बात से चिंता होती है

कि स्वामी विवेकानंद और दयानंद के बाद उस योग्यता का कोई विचारक हिन्दुत्व मे पैदा नही हो पाया । अभी दुनियां मे प्रमुख पूंजी पतियों की सूची प्रकाषित हुई है। उसमे भारत का नाम नही है। विचारणीय है। संघ परिवार को अस्सी वर्ष हो गये किन्तु उसमे भी विचारको की भूमिका लगभग शुन्य दिखती है। यह सब चितां का विषय है। मुझे चिंता है कि हिन्दुत्व वैचारिक धरातल पर पीछे जा रहा है।

आज भारत मे तमिलनाडु की जलिकटटू नामक सामाजिक प्रथा के पक्ष विपक्ष के माध्यम से एक गंभीर बहस छिडी है। जलिकटटू ठीक है या गलत यह चर्चा तो साधारण है किन्तु गंभीर प्रष्न तो यह है कि क्या तंत्र को यह अधिकार है कि वह इस प्रथा के गलत या सही का अंतिम निर्णय कर सकता है? समाज का निर्णय अंतिम होगा या तंत्र का । तंत्र ने निर्णय कर रखा था कि जलिकटटू गलत है और समाज तंत्र का निर्णय मानने को बाध्य है। समाज ने कहा कि गलत या सही का अंतिम निर्णय समाज करेगा और तंत्र समाज पर अपना निर्णय थोप नही सकता।

इस टकराव मे दो दर्षन टकरा रहे है।

1 भारतीय दर्षन के अनुसार असीम समान स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का एकमात्र प्रकृति प्रदत्त अधिकार होता है। यह स्वतंत्रता असीम भी होती है और समान भी। सह जीवन का प्रषिक्षण देना प्रत्येक व्यक्ति का एक मात्र कर्तब्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तब्य और दायित्व पूरे करने के लिये परिवार, गांव से लेकर तंत्र तक की व्यवस्था के साथ सहयोग करता है। इस सम्पूर्ण व्यवस्था का सर्वोच्च संचालन समाज रूपी अदृष्य इकाई के पास होता है।

2 विदेषी दर्षन के अनुसार समाज एक काल्पनिक इकाई है और तंत्र ही समाज की अंतिम इकाई है। तंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय कर सकता है। तंत्र ही व्यक्ति के कर्तब्य और दायित्व को परिभाषित और कार्यान्वित कर सकता है।

भारतीय दर्षन के अनुसार समाज की बुराई समाज ही दूर कर सकता है। समाज इसके लिये परिवार गांव से लेकर राष्ट तक सक्रिय है। समाज की शक्ति असीमित है और तंत्र की शक्ति मात्र वहीं तक जहां तक समाज ने उसे दिया है। विदेषी दर्षन यह मानता है समाज की बुराई तंत्र दूर कर सकता है क्योकि वही सर्वोच्च है और उसे व्यक्तियों ने मिलकर यह अधिकार दिया है। अलग से समाज कुछ नही होता।

भारत यह मानता है कि हम दुनियां मे सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। भले ही आज हम अन्य सब मामलो मे कमजोर ही क्यों न हों किन्तु हमारा अतीत श्रेष्ठ है। विदेष मानता है कि वह दुनियां मे सर्वश्रेष्ठ है। भले ही उसका अतीत कुछ भी हो किन्तु वर्तमान मे तो वही सर्वश्रेष्ठ है, अन्य कोई नहीं।

मै भारतीय दर्षन का पक्षधर हूँ । मेरे अनुसार 1 प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता होनी चाहिये। यह स्वतंत्रता सबको समान रूप से हो। समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्था रूपी तंत्र इसमे तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब किसी की स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करे, अन्यथा नहीं । 2 प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप से आगे बढने की असीम स्वतंत्रता है। 3 जीने की, अभिव्यक्ति की, सम्पत्ति की, स्वनिर्णय की, कोई सीमा उसकी सहमति के बिना नही बनाई जा सकती। 4 वर्तमान समय मे प्रचलित श्रेष्ठता का सिद्धान्त घातक है। कोइ भी व्यक्ति या समूह किसी अन्य की सहमति के बिना स्वयं को श्रेष्ठ कह कर अपने विचार किसी अन्य पर थोप नहीं सकता है। श्रेष्ठता का घातक विचार भारत मे भी बहुत व्यापक है और इसी विचार के आधार पर भारत मे भी तंत्र अपने को मालिक समझ रहा है।

5 मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य जीव या पेड पौधे को मनुष्य के समान असीम स्वतंत्रता नहीं है। अन्य जीवों पर दया करना किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है। किन्तु किसी अन्य को ऐसी दया के लिये वाध्य नही किया जा सकता।

जलिकटटू के मामले के द्वारा लोक और तंत्र के बीच अधिकारो की सीमाओं का जो टकराव शुरू हुआ है उसमे हम सबको समाज के साथ खडा होना चाहिये। मंथन इस बात पर नही होना चाहिये कि जलिकटटू उचित है या नही। मंथन यह होना चाहिये कि उचित अनुचित का अंतिम निर्णय लोक का होगा या तंत्र का?

13 प्रष्न— संविधान समीक्षा विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा हो रही है। मुख्य रूप से दो प्रष्न उठे है । (1) आपने कई बार भारतीय संविधान को समुद्र मे डालने जैसा कहा है। आज उसे भगवान कह रहे है यह परिवर्तन कैसे? (2) क्या संविधान की तुलना भगवान से करना उचित है?

उत्तर– मैने कभी नहीं कहा कि संविधान को समुद्र मे डाल दिया जाय। बल्कि मैने हमेषा यह कहा कि संवैधानिक तरीके से संविधान मे व्यापक और मौलिक संषोधन करके वर्तमान संविधान को समुद्र मे डाल देना चाहिये । क्योकि यह संविधान सम्रुद मे जाने लायक ही है। मेरे विचार से कोई न कोई संविधान तो रहेगा ही। मैने भारतीय संविधान को भगवान नही कहा है बल्कि संविधान को भगवान कहा है। स्पष्ट है कि प्रत्येक इकाई अपने ठीक ठीक संचालन के लिये जो व्यवस्था बनाती है। उस व्यवस्था पर किसी संविधान के द्वारा ही उस इकाई का नियंत्रण होता है। इसका अर्थ हुआ कि उस इकाई के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक नागरिक के लिये वह संविधान भगवान स्वरूप होगा। किन्तु यदि उस संविधान को उस इकाई की सहमति या इच्छा के विरूद्ध उपर से थोप दिया जाये तो वह थोपा हुआ संविधान भगवान नही माना जायेगा। भारतीय संविधान गुलाम भारत मे बनना शुरू हुआ तथा संविधान सभा का गठन भी अंग्रेजो ने ही किया था। स्वतंत्र भारत के नागरिको की राय नही ली गई थी। स्वतंत्रता के बाद भी कभी संविधान सभा का गठन नागरिको के द्वारा नही किया गया। बल्कि निर्वाचित संसद को ही संविधान सभा मान लिया गया। इसलिये ऐसे गुलामी के संविधान को अनंत काल तक स्वीकार नही किया जा सकता। विषेषकर तब, जब उसका परिणाम भी बिल्कुल विपरीत आ रहा हो।

पूरी दुनियां मे समाज की मान्यता भ्रम पूर्ण बना दी गई है । समाज सर्वोच्च होता है और धर्म, राष्ट, संविधान, यहां तक कि भगवान भी समाज से उपर नहीं हो सकते। किन्तु यह गलत धारणा प्रचारित की गई है कि समाज से उपर भगवान या धर्म राष्ट आदि होते हैं । समाज ही भगवान को मान्यता देता है, और समाज ही संविधान को भी मान्यता देता है। इसका अर्थ हुआ कि समाज सबसे उपर है। भगवान से भी उपर।

व्यक्ति भगवान को मानता है और नागरिक संविधान को । इस तरह संविधान और भगवान को समकक्ष भी कहा जा सकता है। क्योकि किसी भी नागरिक के लिये तो संविधान ही सर्वोच्च होता है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है ओर इस पर आगे और चर्चा संभव है। क्योकि मै व्यक्ति और नागरिक को अलग अलग देखता हूँ तथा भगवान को समाज से नीचे ।

लोकतंत्र लोक और तंत्र से मिलकर बना है। वर्तमान मे तंत्र का नेतृत्व राजनेताओं के पास है और लोक का समाज के पास। तंत्र ने संसद को लोक तंत्र का मंदिर बताकर उसमे संविधान को भगवान के रूप मे प्रचारित किया है। राजनीतिज्ञ उस मंदिर के पुजारी बन गये है। मेरा इससे कुछ भिन्न मत है। मेरे मत मे यह मंदिर और यह भगवान पुजारी का व्यवसाय बन गया है, जहां तिकडम के अलावा कुछ नहीं है। हमारी आस्था का दुरूपयोग हो रहा है। यह संसद राजनेताओ की दुकान बन गई है। संविधान भी दुकानदारी का एक उपकरण मात्र है। राजनेताओ ने अपनी मनमर्जी से एक संविधान बनाकर उस मंदिर मे स्थापित कर दिया है और हमारा काम है केवल राष्ट भक्ति के नाम पर टैक्स रूपी पैसा चढाना। अब समय आ गया है कि भगवान, मंदिर और पुजारी का यह त्रिकोण छिन्न भिन्न हो। यह दुकानदारी इसी तरह नही चलनी चाहिये। इस संबंध मे मेरा सुझाव है कि संविधान को राजनीतिज्ञ और संसद के एकाधिकार से मुक्त कराया जाय और समाज का संविधान से सीधा संपर्क हो, संवाद हो, नियंत्रण हो।

14 आचार्य पंकज जी

न्यायिक सक्रियता के सन्दर्भ में आपके वैचारिक गंभीर लेख को पढते हुए, एक बात बडी स्पष्टता से आनी चाहिए थी। न्यायालयों में न्यायाधीषों के अभाव की चर्चा में जनहित याचिका को आपने अनावष्यक बताया है। क्या जनहित याचिका जन के मौलिक अधिकार में नहीं आता है ?

उत्तरः—प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो तथा उसे सुरक्षा मिले यह दायित्व तंत्र का होता है। लोक ने यह दायित्व तंत्र को सौंपा है, न्यायालय या पुलिस को नहीं। अन्याय पुलिस की गलती से होता है या न्यायालय की गलती से यह सोचना समाज का काम नहीं क्योंकि समाज ने न्यायालय या

पुलिस के दायित्वों का अलग अलग विभाजन नहीं किया है। स्पष्ट दिखता है कि न्यायालय और पुलिस एक दूसरे को अपना सहयोगी कभी नहीं मानते। इसमें गलती जिसकी भी हो,वह गलती सुधारना तंत्र का काम है,हमारा नहीं। भूलवष या भयवष हम सारी गलतियॉ कार्यपालिका अर्थात पुलिस पर थोपकर न्यायालय को निर्दोष सिद्ध करते रहते है। यदि वर्तमान समय में विधायिका और कार्यपालिका के सारे काम भी न्यायालय ही कर रहा है तो उनकी गल्तियों का उत्तर भी न्यायालय को ही देना चाहिए।

भारत में न्यायिक तानाषाही न होकर लोकतंत्र है। जनहित किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं होता बल्कि संवैधानिक अधिकार होता है जिसका अर्थ होता है कि वह तंत्र का दायित्व न होकर स्वैच्छिक कर्तव्य मात्र होता है। भ्रमवष पूरे देष में यह धारणा बना दी गई है कि जनहित जन का अधिकार है। जबकि किसी का स्वैच्छिक कर्तव्य किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता। न्यायालय न्याय नहीं कर सकता क्योंकि न्यायालय कानून के अनुसार न्याय करने के लिए बाध्य है।इसका अर्थ हुआ कि जनहित क्या है उसकी व्याख्या सिर्फ विधायिका ही कर सकती है न्यायालय नहीं। न्यायालय उस व्याख्या के अनुसार निर्णय करने तक सीमित है। जनहित का कार्य न तो विधायिका कर सकती है न ही न्यायपालिका। विधायिका द्वारा दी गई परिभाषा और न्यायपालिका द्वारा घोषित निर्णय के आधार पर कार्यपालिका जनहित के कार्य करती है। जनहित याचिका सुनना न्यायपालिका का असंवैधानिक कार्य है। कल्पना करिये कि यदि न्यायपालिका ने जनहित की जन विरोधी व्याख्या कर दी तो व्यक्ति या जन उस विरोधी धारणा की अपील किसके पास कर सकता है और यदि अपील का प्रावधान नहीं है तो वह न्यायिक तानाषाही ही कही जायेगी । अब तक यह धारणा पूरे देष में चल रही है किन्तु अब इस धारणा को बदलने की आवष्यकता है। मैं स्पष्ट कर दूॅ कि जनहित किसी भी रुप में व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है।

15 टीकाराम देवरानी

प्रष्नः— न्यायिक सक्रियता समस्या या समाधान मंथन के लेख में आपने लिखा है कि मनमोहन सिंह एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे तो क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तानाषाही की ओर जा रहे है, और क्या आप लोकतंत्र की अपेक्षा तानाषाही को अच्छा समझते है?

उत्तरः—इस प्रष्न का उत्तर देने के लिये हमें लोकतंत्र को भी परिभाषित करना होगा। लोकतंत्र कभी भी भारत की विचारधारा नहीं रही। भारत में या तो राजतंत्र था या लोक स्वराज्य जिसे आजकल सहभागी लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र लोक नियुक्त तंत्र होता है और लोकस्वराज्य लोक नियंत्रित तंत्र। लोकतंत्र में तंत्र द्वारा बनाई गई व्यवस्था से संविधान बनता है तो लोक स्वराज्य में लोक द्वारा बनाई गई व्यवस्था से संविधान बनता है या संषोधित होता हैं। पष्चिम के देषों में मौलिक लोकतंत्र है तो दक्षिण एषिया के देषों में आयातित। भारत में भी आयातित लोकतंत्र हैं।

लोकतंत्र तानाषाही तथा लोकस्वराज्य के बीच का एक अल्पकालिक प्रबंध होता है। यदि लोकतंत्र लम्बे समय तक चले तो अव्यवस्था की ओर बढता ही है। मौलिक लोकतंत्र वाले देषों में इस अव्यवस्था की गति बहुत धीमी होती है तो आयातित लोकतंत्र वाले देषों में बहुत तेज।

भारत में अव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ती गई है। स्वाभाविक है कि समाज लम्बे समय तक अव्यवस्था नहीं झेल सकता । लोकतंत्र न तो लोकस्वराज्य की दिषा में बढता है और न ही समाधान कर पाता है इसलिए समाज में तानाषाही की भूख पैदा होती हैं। मैं स्पष्ट कर दूॅ कि अव्यवस्था का सबसे आसान और आकर्षक समाधान तानाषाही ही होता है।

मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री हुये जिन्होने पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने का प्रयास किया। स्वाभाविक है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अव्यवस्था भी चरम पर पहुॅची। जिसका परिणाम हुआ कि आम नागरिको में समस्याओं के समाधान की भूख पैदा हुई और उन्होने यह समझते हुये भी कि नरेन्द्र मोदी तानाषाही प्रवृत्ति के हैं फिर भी उन्हें स्वीकार किया क्योंकि स्पष्ट दिख रहा था कि अव्यवस्था से निपटने के लिए किसी तानाषाही की जरुरत है और नरेन्द्र मोदी एक विष्वसनीय तानाषाह हो सकते हैं।

तानाषाही भी दो प्रकार की होती है—(1) लोकतांत्रिक तानाषाही (2) शक्ति बल से तानाषाही। हिटलर की तानाषाही लोकतांत्रिक कही जाती है तो सद्दाम की तानाषाही बलपूर्वक। इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। हिटलर प्रजातांत्रिक तरीके से चुना जा कर प्रजातांत्रिक तरीके से ही शक्तिषाली शासक बना। नरेन्द्र मोदी भी उसी दिषा में तेजी से बढ़ रहे है। मेरे सहित सम्पूर्ण भारत नरेन्द्र मोदी को चुनने के पूर्व भी वैसी ही कल्पना कर रहा था जैसा आज वे दिख रहे है। स्पष्ट है कि भारत लोकतंत्र के नाम पर पुनः अव्यवस्था की दिषा में जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी नरेन्द्र मोदी के हर कदम का समर्थन करता हूॅ क्योंकि लोकतंत्र और अव्यवस्था जब तक साथ है तब तक मैं नरेन्द्र मोदी का समर्थक हूॅ। यह जानते हुये भी कि मोदी हिटलर की दिषा में बढ़ रहे है क्योंकि वर्तमान समय में कोई अन्य मार्ग नहीं है।

इतना होते हुये भी मैं तानाषाही की अपेक्षा लोकस्वराज्य का अधिक पक्षधर हूॅ। मुझे विष्वास है कि हिटलर ने जो गल्तियॉ की थी वे गल्तियॉ मोदी नहीं करेंगे। मेरे सरीखा विचारक समूह मोदी को इस बात के लिए सहमत कर लेगा कि जनमत लोकस्वराज्य चाहता है और उन्हें लोकस्वराज्य की दिषा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पूरा विष्वास है कि नरेन्द्र मोदी जनमत के समक्ष सहमति व्यक्त करेंगे या जनमत उन्हें सहमत कर लेगा। आवष्यकता इस बात की है कि लोकस्वराज्य के पक्ष में जनमत जागरण किया जाये और मेरे सहित हमारे अनेक साथी इस दिषा में निरंतर सक्रिय हैं। मैं स्पष्ट कर दूॅ कि लोकतंत्र के नाम पर पुरानी चल रही खान्दानी राजनीति को अब पुनः जड़ जमाने का अवसर नहीं दिया जा सकता।

(16) संजय ताती

प्रष्नः— आपने मोदी जी की तुलना हिटलर से कैसे कर दी है?

उत्तरः— मैंने नरेन्द्र मोदी की तुलना हिटलर से की है और साथ ही यह भी लिखा है कि हिटलर ने कुछ गल्तियॉ भी की थी जो संभव है कि मोदी जी नहीं करेंगे और यदि उस दिषा में बढने का प्रयत्न करेंगे तो भारत का जाग्रत जनमत उन्हें या तो समझा लेगा या फिर रोक लेगा। ऐसा जनमत धीरे धीरे जाग्रत भी हो रहा है। मैं स्पष्ट हूॅ कि हिटलर ने केवल दो ही गल्तियॉ की थी —

(1) हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों की हत्या को अपना लक्ष्य बना लिया।

(2) हिटलर ने अपनी सीमाओं को जर्मनी से आगे बढाकर विष्व विजय का सैनिक समाधान खोजना शुरु कर दिया।

इन दो कारणों से ही हिटलर आज इतना कुख्यात है। अन्यथा हिटलर ने अपने देष में अनेक अच्छे काम किये थे। मोदी जी भी अच्छे काम कर रहे है तथा अब तक हिटलर की दोनों बुराईयों के कोई लक्षण नहीं दिखे है। इसलिए मोदी जी की तुलना हिटलर के अच्छे कार्यो के लिए की जा सकती है।

मोदी जी ने नोट बंदी का जो आदेष दिया है। उससे पूरे भारत में अव्यवस्था का वातावरण दिख रहा है। मेरे विचार से यह अव्यवस्था ही कुछ अच्छे परिणाम देगी। इससे करीब 20—25 प्रतिषत अनावष्यक खर्चे भी कम हो जायेंगे। जमीन सहित अनेक वस्तुओं की मांग भी घटेगी,और मूल्य भी घटेगा। शादी विवाह में आने वाली परेषानियॉ फजूल खर्चे को नियंत्रित करने में सहायक होगी। नगद रु का लेनदेन कम करके आंषिक रुप से चेक सिस्टम की दिषा में लोग बढेंगे।

वर्तमान स्थिति में अपने मित्रों को मेरी कुछ सलाह है। यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता है तो आम लोगों को खर्च घटाने की सलाह दीजिये साथ ही यह भी समझाइये की वे चेक वगैरह का माध्यम अपनाये। अथवा वस्तु विनिमय की भी कुछ शुरुवात करें। यदि आप व्यापारी है तो आप हजार रु के पुराने नोट के बदले आठ सौ रु का समान उधार देकर हजार रु. पुराना नोट अपने पास तब तक रख सकते है जब तक वह वापस न ले जाये। आप सतर्क रहे कि आप भी ऐसे नोट अधिक मात्रा में इक्टटे न कर ले। मान कर चलिये कि करीब 10 प्रतिषत तक मंदी आ सकती है। यह भी एक प्रकार से सहायता ही है। यदि आप राजनैतिक कार्यकर्ता है तो आप सत्ता पक्ष के हो तो इस कदम का आंख मूंदकर समर्थन करिये और यदि आप

विपक्ष के हो तो आंख मूंदकर विरोध करिये। यदि आप परजीवी हो तो आप सबकी आलोचना करके अपनी रोटी सेकते रहिये। आपको तय करना है कि आपका उददेष्य क्या है और आप उस उददेष्य की पूर्ति में कितना आगे जा रहे है। मैंने तो अपना मार्ग निष्चित कर लिया है।